

Most Urgent-

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 ( )2013/कार्मिक-स्ट्रेन्थ/प्रमुवसं/12336-458

दिनांक 23/8/13

निमित्त,

समस्त वनाधिकारीगण।

विषय : राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार में विभाग द्वारा प्रेषित राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 में संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। जिन पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभाग में पदस्थापित समस्त संवर्गों के संबंध में निम्न सारणी में सूचना तत्काल चाही गयी है। कृपया वांछित सूचना तत्काल जरिये फ़ैक्स द्वारा दिनांक 26.08.2013 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को एवं एक्सल में Devlys 010 में सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करावे।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	पद का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि		भर्ती का माध्यम			एससी/एसटी
					राज्य सेवामें	संवर्ग में	सीधी भर्ती	पदोन्नति	मृतक आश्रित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भवदीय,

  
(वीरेन्द्र सिंह)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)

राजस्थान जयपुर